

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/पेन-88/2025-

/स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० सावित्री कुमारी, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुल्हिन बाजार, पटना का दिनांक-02.07.1995 से 07.04.1997 तक के प्रभार रहित अवधि को डा० कुमारी द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-236 के आलोक में असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/पेन-88/2025-

1583(2)

पटना, दिनांक 14/7/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुल्हिन बाजार, पटना/डा० सावित्री कुमारी, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुल्हिन बाजार, पटना का पत्राचार पता-फलैट न०-104, आनंद वृज सरोजनी एनक्लेव, करबिगहिया, पो०-जी०पी०ओ०, थाना-जक्कनपुर, जिला-पटना-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

W. K. K. 13/7/26
सरकार के उप सचिव।